



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 649]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 30, 2007/ज्येष्ठ 9, 1929

No. 649]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 30, 2007/JYAISTHA 9, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2007

(आय-कर)

का. आ. 850(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv) और उप-खंड (v) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छठवाँ संशोधन) नियम, 2007 है।

(2) ये 1 जून, 2007 से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में,

(i) नियम 2ग के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv) और उप-खंड (v) के अधीन अनुमोदन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

2ग. (1) धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv) और उप-खंड (v) के अधीन विहित प्राधिकारी मुख्य आयुक्त या महानिदेशक होगा जिसको उप-नियम (2) में उपबंध के अनुसार आवेदन किया जाएगा।

(2) किसी निधि, न्यास या संस्था द्वारा धारा 10 के खंड

(23ग) के उप-खंड (iv) और उप-खंड (v) के अधीन प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन प्ररूप सं. 56 में होगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए “मुख्य आयुक्त या महानिदेशक” से ऐसा मुख्य आयुक्त या महानिदेशक अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, किसी निधि या न्यास या संस्था के संबंध में धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv) या उप-खंड (v) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करे।

(ii) आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट II में प्ररूप संख्या 56 के टिप्पण में,—

(क) मद सं. 2 में, “आय-कर आयुक्त की मारफत आय-कर महानिदेशक (छूट)” शब्दों के स्थान पर “मुख्य आयुक्त या महानिदेशक जिसे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक (छूट) के माध्यम से धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (vi) और उप-खंड (v) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करें” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) मद सं. 4 में “आय-कर महानिदेशक (छूट) या आय-कर महानिदेशक (छूट) द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर “मुख्य आयुक्त या महानिदेशक या मुख्य आयुक्त या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी” शब्द रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 194/2007/फा. सं. 153/41/2007—टीपीएल]

वंदना रामचंद्रन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत ५. १९६२ में अधिसूचना सं. का.आ. १६१ तारीख २६ मार्च, १९६२ द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, २००७, अधिसूचना सं. का. आ. ७६२(अ) तारीख १४-०५-२००७ द्वारा किया गया था ।